बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–9/सै0 6 मेला स्वी0–01/14–119 (9)/रा0, पटना, दिनांक– 13/2/15

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषयः– **सिंहेश्वर महाशिवरात्री मेला 2015 तथा बौंसी मेला 2015 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि में से रूपये 7,50,000/= (सात लाख पचास हजार) मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

सिंहेश्वर महाशिवरात्री मेला 2015 तथा बौंसी मेला 2015 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि की निकासी की स्वीकृति दी जाती हैः–

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	समाहर्त्ता के पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4
1	सिंहेश्वर महाशिवरात्री मेला–2015, मधेपुरा	5,00000 (पॉच लाख)	पत्रांक–3371 दिनांक–18.12.2014
2	बौंसी मेंला–2015, बॉका	2,50,000 (दो लाख पचास हजार)	पत्रांक–1614 दिनांक–26.12.2014

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701 लघु कार्य मॉग सं0–40 विपत्र कोड– एन0–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2014–15 में की जायगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्त्ता होंगें ।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 (वी0)(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में किया जायगा।

कृ0पृ0उ0

5. इस राशि की निकासी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात की जायगी।

6 समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

7. इस स्वीकृत राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा किसी भी स्थिति में अगले वर्ष में इस मद में राशि विमुक्त करने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। डी0सी0 विपत्र के मामले में इसका समायोजन नियत समय सीमा के अंदर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

फैक्स/ ई–मेल

ज्ञापांकः–119 (9)/रा0,पटना–15,दिनांकः–13/2/15

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल सहरसा, एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं बॉका/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–5 (बजट शाखा)/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।